DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

-95-

Ref: JDA/ACE-I/TCB/2020-21/D- 499 Dated: 22/3/2021.

Minutes of 81st meeting of the Traffic Control Board held on 26.02.2021

The 81st Traffic Control Board Meeting was held under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 26th February, 2021 in the 'Manthan' meeting hall of Jaipur Development Authority, Jaipur.

List of officers who attended the meeting is as at Annexure-'A'. After detailed discussions the decisions taken are as follows:-

Agenda Item No.	Agenda Items	Decisions	Action to be taken by
81.1	Confirmation of minutes of the 80th TCB meeting held on 24.09.2020.	Minutes of 80th TCB meeting held on 24.09.2020 were confirmed.	MS, TCB
81.2	Compliance report on decisions taken in 80th TCB meeting held on 24.09.2020	The compliance made was noted and compliance on following issues required further action as indicated:	
	पूर्व टी.सी.बी. मीटिंग के अन्य बिन्दु जिन पर चर्चा की गयी **Agenda No.79.5** अधिशाषी अभियन्ता–01, जविप्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव : ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में विभिन्न कॉम्प्लैक्स/ भवनों के अनुमोदन के समय सरेन्डर की गई भूमि पर स्लिप लेन, बाईलेन एवं सड़क चौड़ी कर ट्रेफिक को सुगम किये जाने के संबंध में लिए गए निर्णय की प्रगति– जयपुर शहर में प्रमुख सड़कों पर कॉम्प्लैक्स/ भवनों के अनुमोदन के समय भूमि सरेन्डर कराई गई है। सरेन्डर की गई भूमि पर सुगम यातायात हेतु स्लिप लेन, बाईलेन एवं सड़क चौड़ी कर ट्रेफिक सुगम किया जा सकता है, विशेषकर जहाँ ऐसे भूखण्ड कॉर्नर पर है।	उक्त बैठक के प्रस्ताव के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता–01, जविप्रा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में उल्लेखित छः स्थानों पर कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है। इसके अलावा भवानी सिंह रोड़ पर नीलकंठ कॉम्प्लेक्स के आगे भी सरेण्डर की गयी भूमि पर सड़क चौड़ाईकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस संबंध में जयपुर नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि निगम क्षेत्र में इस तरह के स्थानों को चिन्हित कर सड़क चौड़ाईकरण का कार्य सम्पादित कर दिया जायेगा।	Ex.En.-1, JDA NNJ-Heritage/ Greater

	जोन–01 क्षेत्र में मुख्य रुप से निम्न स्थानों पर भूमि सरेन्डर किया जाना प्रतीत होता है। • रामबाग सर्किल के पास प्रताप सन्स • नगर निगम कार्यालय के सामने यूनिवर्सिटी मार्ग पर यूडीबी कॉम्प्लैक्स • गांधीनगर मोड़ पर यूडीबी कॉम्प्लैक्स • लक्ष्मी मन्दिर तिराहे पर निर्माणाधीन कॉम्प्लैक्स • भवानी सिंह मार्ग पर सहकार सर्किल के पास नीलकण्ठ कॉम्प्लैक्स, एन्टलास्टिस अपार्टमेन्ट व अन्य भूखण्डों पर सरेन्डर की गई भूमि • गोविन्द मार्ग पर पिंक स्क्वायर मॉल की सरेन्डर की गई भूमि व अन्य भूखण्डों पर सरेन्डर की गई भूमि इसके अतिरिक्त नगर निगम/प्राधिकरण के विभिन्न जोनों में इसी प्रकार भवन अनुमोदन के उपरान्त भूमि सरेन्डर कराई गई है जिसे रिक्त कराकर भूमि पर स्लिप लेन, बाईलेन एवं सड़क चौड़ी कर ट्रेफिक को सुगम किया जा सकता है। इस कार्य हेतु नगर निगम जयपुर/प्राधिकरण के विभिन्न सम्बन्धित जोन उपायुक्तगणों से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।	उक्त चिन्हिकरण मार्च 2021 में कर आवश्यक प्लान बनाकर शीघ्र कार्य करवाने हेतु निगम (हैरिटेज व ग्रेटर) को निर्देशित किया गया।	
	Agenda No.80.3 जयपुर शहर में आई.टी.एम.एस. परियोजना के अन्तर्गत कैमरे एवं बाहरी वाहनों का प्रवेश निषेध। यातायात पुलिस द्वारा शहर में भारी वाहनों के अवागमन समय, मार्ग आदि बाबत् लिया गया निर्णय समिति ने नोट किया। सीकर रोड़ पर ट्रकों की भारी पार्किंग बाबत् विचार विमर्श कर स्थायी समाधान हेतु निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट नगर फेज–I, सीकर रोड़ के आवंटियों को अंतिम नोटिस दिया जाये एवं जो आवंटी तय समय सीमा में वहां व्यवसाय शुरू नहीं करेगा उसका आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। भारी वाहनों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर की जा रही पार्किंग के संबंध में सीकर रोड़ पर टोडी मोड़ तक नो पार्किंग जोन घोषित करने के प्रस्ताव का डी.सी.पी. (ट्राफिक) परीक्षण कर यातायात पुलिस कैमरे लगाने का कार्य स्मार्ट सिटी से समन्वय कर चरणबद्ध तरीके से कार्य सम्पादित करायेंगे।	• प्रस्ताव पर चर्चा हुयी उपायुक्त जोन–13, जविप्रा द्वारा सूचित किया गया कि आवंटियों को अंतिम नोटिस दिया जा चुका है। अध्यक्ष द्वारा जविप्रा को ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं का कार्य शीघ्र ही सम्पादित करने के निर्देश दिये। • यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि भारी वाहनों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर की जा रही पार्किंग के संबंध में सीकर रोड़ पर वी.के.ए.आई. रोड़ नं.14 से टोडी मोड़ तक नो पार्किंग जोन घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है। • यातायात पुलिस कैमरे लगाने का कार्य स्मार्ट सिटी से	**Ex.En.-13, Elect, PHE, JDA** **DCP (Traffic)** **Smart City DCP (Traffic)**

		समन्वय कर चरणबद्ध तरीके से कार्य सम्पादित कराये जाने के निर्देश जारी किये। इस संबंध में स्मार्ट सिटी को दिशा निर्देश दिये गये कि यातायात पुलिस से कैमरा लगाये जाने वाले प्रमुख स्थानों का चिह्निकरण करवा कर 30 दिवस में निविदायें आमंत्रित करें। • जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शेष विकास कार्य सड़क, जल–आपूर्ति, सीवरेज, विद्युतिकरण आदि के कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण करेगा।	
	Agenda No.80.4 जयपुर शहर में सुरक्षित ड्राईविंग हेतु दिशा निर्देश गत मीटिंग में जयपुर शहर में सुरक्षित ड्राईविंग हेतु आर.टी.ओ. जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि आर.टी.ओ. जयपुर मुस्कान फाउण्डेशन अथवा किसी अन्य उपयुक्त विशेषज्ञ के सहयोग से सुरक्षित यातायात हेतु आकर्षक स्लोगन तैयार करें। जविप्रा तत्पश्चात् शहर के मुख्य स्थानों पर डिजिटल होर्डिंग्स के माध्यम से इनका डिस्प्ले सुनिश्चित करावे। आर.टी.ओ. जयपुर द्वारा सुरक्षित ड्राईविंग हेतु पुस्तिका में संलग्न कार्यालय पुलिस उपायुक्त–पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व यातायात पुलिस जयपुर से प्राप्त ब्लैक स्पॉट्स की लिस्ट पर चर्चा हुई। इन ब्लेक स्पॉट्स पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया :– श्री अमीनुद्दीन आज़ाद, अधिशाषी अभियन्ता(ट्रेफिक), जविप्रा – संयोजक श्री आर.के. चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री सेठाराम, अति.पुलिस कमिश्नर यातायात (पश्चिम) श्री दिनेश गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम जयपुर। प्रतिनिधि मुस्कान फाउण्डेशन उपरोक्त कमेटी समस्त ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक सुझाव पन्द्रह दिवस में आयुक्त जविप्रा को प्रस्तुत करेगी। अधिशाषी अभियन्ता (ट्रेफिक) जविप्रा उक्त कमेटी के संयोजक रहेंगे।	• मुस्कान फाउण्डेशन द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा आर.टी.ओ. विभाग को सुरक्षित यातायात हेतु आकर्षक स्लोगन उपलब्ध करवा दिये गये थे। आर.टी.ओ. द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह में उक्त स्लोगन को जगह–जगह डिस्प्ले किया गया। अध्यक्ष द्वारा परिवहन विभाग को निर्देश दिये कि डिस्प्ले किये जाने वाले प्रमुख स्लोगनस् को जविप्रा को उपलब्ध करावें जिससे जविप्रा मुख्य स्थानों पर डिजीटल होर्डिंग के माध्यम से इनका डिस्प्ले कर सके। • उक्त बैठक द्वारा गठित कमेटी ने जयपुर शहर में सुरक्षित ड्राईविंग के संबंध में 74 ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों के क्षेत्राधिकार में स्थित ब्लैक स्पाट्स की संख्या निम्नानुसार है :– जविप्रा – 40 एनएचएआई – 30 पीडब्ल्यूडी – 02 नगर निगम हैरिटेज – 02 अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभाग शीघ्र ही सुधार कार्य प्रारम्भ कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह भी निर्देश जारी किये गये कि परियोजना निदेशक एन.एच.ए. आई. के साथ निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम, जविप्रा द्वारा	**JDA/ RTO** **JDA/ NHAI/ PWD/ NNJ-Heritage**

		पृथक से मीटिंग आयोजित कर उनसे संबंधित समस्त प्रकरणों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाये। DE-1 एवं DE-2 जविप्रा को निर्देश दिये गये कि समस्त 40 ब्लैक स्पॉट्स पर आवश्यक कार्यवाही कर एक माह में सुधारीकरण पूर्ण करना सुनिश्चित करें।	
	Agenda No.80.5 जयपुर शहर में यातायात के सुगम संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु करवाये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव के संबंध में। जयपुर शहर में यातायात के सुगम संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के लिए उपायुक्त पुलिस (यातायात) की ओर से उठाये गये मुद्दो पर कमेटी द्वारा निम्न स्थानों पर कार्यों के सम्पादन हेतु संबंधित विभागों से कार्य करवाने का निर्णय लिया। 1. अम्बाबाड़ी कॉलोनी से पानीपेच के मध्य द्रव्यवती नदी के भाग में रेलिंग नगर निगम जयपुर द्वारा लगायी जाये।	बिन्दु सं.1 के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि संवेदकों के भुगतान में विलम्ब के कारण वर्तमान में नगर निगम में संवेदकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल खत्म होने पर कार्य करवा दिया जायेगा। इस संबंध में नगर निगम को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कार्य में विलम्ब होता है तो उक्त कार्य जविप्रा के माध्यम से करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।	**NNJ-Heritage/ Greater**
	2. अम्बाबाड़ी तिराहे के पास अनाधिकृत सब्जी मण्डी को नियमानुसार प्रक्रिया व परीक्षण उपरान्त हटाने हेतु नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।	बिन्दु सं.2 जयपुर नगर निगम हैरिटेज द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त क्षेत्र जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अधीन है एवं इनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**NNJ-Heritage/ Greater**
	3. दिल्ली रोड़ धोबीघाट से बंध की घाटी हनुमान मन्दिर के पास बारिश में पहाड़ी के टूटकर आने वाले पत्थरों की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्य करवाने के संबंध में वन विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्र लिखा जावे।	बिन्दु संख्या 3 के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता–10, जविप्रा द्वारा दिल्ली रोड़ धोबीघाट से बंध की घाटी हनुमान मन्दिर के पास बारिश में पहाड़ी से टूटकर आये गये पत्थरों को हटाया जा चुका है। भविष्य में इनके रोकथाम हेतु वन विभाग की सहमति से पत्थरों को हटवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।	**Ex.En.-10, JDA**

	4. सहकार मार्ग पर पुल की चौड़ाई बढ़ाई जाने का कार्य जविप्रा द्वारा किया जायें।	बिन्दु सं.4, अधिशाषी अभियन्ता–3, जविप्रा द्वारा कार्य हेतु राशि रु.2 00 करोड़ का तकमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। यह भी निर्देश दिये गये कि इसी तरह से भवानी सिंह रोड़ व पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित नालों की पुलियाओं को चौड़ा करने का कार्य भी शीघ्र सम्पादित करें।	**Ex.En.-1/ 3, PrI JDA**
	5. धुलेश्वर गार्डन के पास लोहे के अस्थाई बेरियर की जगह स्थायी मीडियन बनाए जाने की कार्यवाही नगर निगम जयपुर द्वारा की जानी हैं।	बिन्दु सं.5 के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि संवेदकों के भुगतान में विलम्ब के कारण वर्तमान में नगर निगम में संवेदकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल खत्म होने पर कार्य करवा दिया जायेगा। इस संबंध में नगर निगम को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कार्य में विलम्ब होता है तो उक्त कार्य जविप्रा के माध्यम से करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।	**Ex.En.-1, JDA/ NNJ-Heritage/ Greater**
	6. उपायुक्त पुलिस (यातायात) द्वारा जयपुर शहर की कॉलोनियों की सडकों पर मौहल्ला समितियों द्वारा लगाये गये गेट्स के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा उपरान्त कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि 60 फुट एवं 60 फुट से अधिक चौडी सडकों पर अनाधिकृत रूप से लगाये गये लोहे के गेटों को हटवाया जावे एवं 60 फुट से कम चौडी सडकों के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु 1. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा 2. उपायुक्त पुलिस (यातायात) व 3. अधिशाषी अभियन्ता (ट्रेफिक) की कमेटी गठित की जाती है। कमेटी इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णय, विधिक स्थिति, आमजन की सुरक्षा, सुविधा व आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत करेगी।	बिन्दु सं.6 ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड के समक्ष कॉलोनियों की सुरक्षा हेतु लगने वाले गेट के संबंध में गठित समिति द्वारा विस्तृत नीति प्रस्तुत की गयी। बोर्ड द्वारा चर्चा पश्चात् पेश की गयी नीति स्वीकृत की एवं इसको जारी कर अनुपालना के निर्देश दिये। एक–एक प्रति नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर निगम हैरिटेज जयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, यातायात पुलिस व पुलिस आयुक्तालय को भी पालनार्थ भिजवायी जावे।	**JDA/ NNJ-Heritage/ Greater/ RHB/Police Commis. Traffic-Police**
	7. समिति ने निर्णय लिया कि मुख्य सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु जविप्रा व नगर निगम प्रत्येक सप्ताह शनिवार को सामूहिक अभियान चलायेंगे व प्रगति आगामी बैठक में रखेंगे।	बिन्दु सं. 7 – नगर निगम जयपुर हैरिटेज सतर्कता शाखा व जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते के साथ सामूहिक अभियान चलाकर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को मुख्य सड़कों से अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से सम्पादित की जा रही है। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रक्रिया को जारी रखा जावे।	**CCE, JDA/ DC, NNJ-Heritage/ Greater** **Ex.En.-1, JDA/ NNJ-Heritage/ Greater/**

	8. जविप्रा यातायात पुलिस की मांग के अनुसार उन्हें आर.सी.सी. के 200 नग मीडियन/बेरीकेड उपलब्ध करायेगा।	बिन्दु सं.8 – वर्तमान में निजी संस्थाओं द्वारा यातायात पुलिस को कुछ आर.सी.सी. बैरिकेड्स उपलब्ध करवा दिये गये हैं। यह निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त बैरिकेड्स आवश्यकतानुसार जविप्रा/निगम द्वारा उपलब्ध करवा दिये जावें। यह भी निर्देश दिये गये कि वर्तमान में मुख्य सड़कों पर यातायात पुलिस द्वारा उपयोग में लिये जा रहे लोहे इत्यादि के बैरिकेड्स की मरम्मत की जाये। यातायात पुलिस द्वारा कंक्रीट के बैरिकेड लगाये गये हैं, जो कारगर है लेकिन भिन्न–भिन्न रंग के हैं एवं उन पर लिखावट भी अलग–अलग है। बोर्ड द्वारा ऐसे कंक्रीट के बैरिकेड्स पर एक समान रंग व लिखावट का निर्णय लिया। इस संबंध में मुस्कान फाउण्डेशन को आवश्यक डिजाईन उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया।	**Traffic Police/ Muskan Foundation**
	9. बी.आर.टी.एस. कोरिडोर पर पूर्व में करवायी गयी यातायात सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट जविप्रा यातायात पुलिस को उनके अध्ययन व क्रियान्विति जांच हेतु भिजवायेगा।	बिन्दु सं.9 – बी.आर.टी.एस. पर पूर्व में करवायी गयी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को विचारार्थ भिजवा दी जावे।	**NHAI**
	10. एन.एच.ए.आई. के प्रतिनिधी ने बैठक को अवगत करवाया कि रिंग रोड़ माह अक्टूबर 2020 में प्रारम्भ की जायेगी एवं अजमेर रोड़ टोंक रोड़ व आगरा रोड़ पर क्लोवर लीफ के निर्माण तक यातायात वहां विद्यमान सर्विस सड़क पर चलेगा।	बिन्दु सं.10 – रिंग रोड़ दक्षिण भाग को यातायात हेतु आमजन के लिये खोल दिया गया है। एन.एच.ए.आई को अजमेर रोड़ व अन्य बाईपासों की सर्विस राड़कों को प्राथमिकता के आधार पर रिपेयर करवाने के निर्देश प्रदान किये।	
	अधिशाषी अभियन्ता–RRP-II, जविप्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव : <u>Regarding Ramniwas Bagh Underground Parking Extension Project</u> - A meeting was held under the chairmanship of Hon'ble Minister, UDH on 13.11.2019 wherein it was decided that JDA will construct Ram Niwas Bagh Underground Parking Extension Project through Smart City Project fundings. In this regard letter was written to the Chairman, Jaipur Smart City Project Ltd for consent and approval on dated 14.11.2019 (enclosed at Annexure –A). In reply CEO, Jaipur Smart City Project Ltd through letter dated 14.11.2019 (enclosed at Annexure-B) informed that JDA shall prepare the	बैठक में यह बताया गया कि रामनिवास बाग में वर्तमान में संचालित भूमिगत पार्किंग की दरें पार्किंग संचालन की निविदानुसार ली जा रही है। रामनिवास बाग में द्वितीय फेज के तहत प्रस्तावित पार्किंग हेतु जविप्रा द्वारा कार्यादेश जारी किया जा चुका है। मीटिंग के दौरान यह निर्देश जारी किये गये कि :– • पार्किंग की दरों को तर्कसंगत बनाया जाये। कम समय के लिये वाहन पार्क करने पर पार्किंग शुल्क कम वसूला जाये तथा ज्यादा समय के ठहराव पर अधिक	**Ex.En.- ROB/RUB- IV, JDA**

	estimate and DPR (if required) and put for vetting and technical sanction of JSCL. Tendering process, supervision of work and verification of bills shall be done by JDA and payments of bills will be done by JSCL as per the procedure laid down in Advisory number 15, dated 14.01.2019 by Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India. Along with this letter a tripartite agreement between Smart City SPV, Government line departments / Agencies and the prospective Bidder in smart city projects was also attached for work execution system (enclosed at Annexure-C).	पार्किंग शुल्क लिया जाये। शुल्क निर्धारण में स्थायी अथवा लम्बे समय के लिए पार्किंग को हतोत्साहित करना चाहिये। • शहर से पार्किंग के मध्य शटल सर्विस चलायी जाये। जिससे अधिक से अधिक लोग बिना कठिनाई के पार्किंग का उपयोग करने के लिए प्रेरित हो। इस हेतु JCTSL व RTO आवश्यक कार्यवाई करे।	JCTSL /RTO
	1-अवैध पार्किंग के संबंध में। **Traffic Control Board** की पूर्व बैठक में लिए गये निर्णयानुसार जयपुर शहर में स्थित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बहुमंजिला इमारतों में अनुमोदित पार्किंग स्थलों पर किये गये अवैध निर्माणों को हटाने हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये। पुलिस अधीक्षक, जविप्रा द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा अब तक 19 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये जा चुके है तथा शेष इमारतों का सर्वे करवाया जा रहा है एवं जिन-जिन इमारतों में अवैध निर्माण पाया जायेगा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया। नगर निगम द्वारा इस विषय में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई है, जिस हेतु नगर निगम, जयपुर से उपस्थित मुख्य अभियन्ता को शीघ्र सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सड़क क्षेत्र का लगभग 58 से 62 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग के रुप में उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे सड़क यातायात हेतु बहुत ही कम जगह मिलती है जिसके कारण अधिकतर सड़कों पर यातायात अवरुद्ध होता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी प्रमुख सड़कों पर पार्किंग शुल्क लगाया जाये, जिससे संबंधित निकायों को राजस्व भी प्राप्त हो एवं अनियंत्रित पार्किंग में भी कमी हो सके। उपायुक्त पुलिस (यातायात) द्वारा इस हेतु स्मार्ट-पार्किंग व्यवस्था करवाये जाने का सुझाव दिया, जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में 2 ऐसे स्थानों का चयन किया जाये जिन पर स्मार्ट-पार्किंग लागू की जा सके। इस हेतु निदेशक (आयोजना) को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जायें।	जविप्रा एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके क्षेत्राधिकार में पूर्व अनुमोदित एवं कार्यरत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ कॉम्प्लेक्सों में अनुमोदित पार्किंग स्थल पर अन्य उपयोग/कब्जे को जोन उपायुक्तों द्वारा नोटिस देकर विधि सम्मत कार्यवाही कर अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से सम्पादित की जा रही है। इस संबंध में सी.सी.ई. जविप्रा द्वारा अब तक सम्पादित की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट बैठक के समक्ष प्रस्तुत की गयी।	CCE, JDA/ DC, NNJ-Heritage/ Greater
	2-मुख्य सड़कों पर पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ आदि की मरम्मत बाबत्। पूर्व बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जयपुर शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल यात्रियों	नगर निगम हैरिटेज द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके क्षेत्राधिकार में वर्तमान समय में हवामहल/ आमेर, सिविल लाईन्स, आदर्श नगर जोन में फुटपाथ सुधारीकरण कार्य	Ex.En., JDA/ NNJ-Heritage/

	की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए फुटपाथों की मरम्मत आदि किये जाने हेतु पुनः निर्देश प्रदान किये गये। निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मौके पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा **NGO Muskaan** के प्रतिनिधि को निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय), जविप्रा के साथ चर्चा कर आगामी 3 माह में इन फुटपाथों की मरम्मत आदि किये जाने हेतु **Action Plan** तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये।	प्रगति पर है एवं कुछ कार्यों की निविदायें आमंत्रित कर ली गयी है। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि फुटपाथों पर से अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाये एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पदयात्रियों को फुटपाथों पर समुचित सुविधायें प्रदान कर फुटपाथों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाये। फुटपाथ पर यथासम्भव किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिये।	**Greater**
81.3	यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत बिन्दु 1. जयपुर शहर में गति सीमा उल्लंघन, ट्रेफिक सिग्नल उल्लंघन एवं अन्य प्रमुख उल्लंघनों का प्रभावी नियंत्रण हेतु आईटीएमएस परियोजना कम से कम समय में लागू किया जाना। 2. बस स्टैण्ड शिफ्टिंग का प्रस्ताव।	1. आई.टी.एम.एस. के तहत स्मार्ट सिटी को यातायात पुलिस द्वारा चिह्नित मुख्य स्थानों पर शीघ्र कैमरे लगाने के लिए 30 दिवस में निविदायें आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। 2. केन्द्रीयकृत बस स्टैण्ड से यातायात दबाव कम करने हेतु जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में राज.राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त अन्य बसों हेतु चार अलग–अलग स्थानों अजमेर रोड़, आगरा रोड़, टोंक रोड़, सीकर रोड़ पर बसों के ठहराव हेतु बस अड्डो के लिये स्थान चिह्नित करने के लिये सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में निम्न कमेटी गठित की जाती है। आर.टी.ओ. – सदस्य अधि. अभि.–टैफिक, जविप्रा – सदस्य अति.डी.सी.पी. यातायात – सदस्य प्रतिनिधि मु.प्रबंधक रोडवेज – सदस्य बसों के यातायात के संबंध में यह भी निर्दश दिये गये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्टरसिटी व इन्टरस्टेट बसें केवल बस अड्डों पर ही रुके। सड़कों पर इन बसों के ठहराव को प्रतिबंधित किया जाये। प्रस्तावित बस अड्डों के निर्माण के लिये रोडवेज के साथ में मीटिंग आयोजित की जाये, जिसमें इनके निर्माण के लिये प्रस्तावित मॉडल पर	**Smart City/ IT Deptt. Raj.** **JDA/ RTO/ Traffic Police/ RSRTC**

		चर्चा की जा सके। इस संबंध में यह भी प्रस्ताव दिया गया कि यदि रोडवेज के लिए इनके निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना वर्तमान प्राथमिकता में शामिल नही हो तो जविप्रा द्वारा इनका निर्माण पी.पी.पी. मॉडल पर करवाया जा सकता है।	
	3. जयपुर रेल्वे जंक्शन की यातायात व्यवस्था में सुधार।	3. जयपुर रेल्वे स्टेशन के लिये द्वितीय प्रवेश द्वारा के संबंध में यह बताया गया कि रेल्वे द्वारा रेल्वे स्टेशनों के समग्र विकास हेतु एक नया विभाग **IRSDC (Indian Railways Station Development Corporation)** का गठन किया गया है। इसके तहत जयपुर शहर में जयपुर जंक्शन व गांधी नगर रेल्वे स्टेशन का री–डवलपमेन्ट प्लान बनाया गया है। उक्त प्लान जविप्रा में प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अनुसार जयपुर जंक्शन में प्रवेश हेतु हसनपुरा की तरफ द्वितीय द्वार प्रस्तावित है। अध्यक्ष द्वारा जविप्रा के आयोजना शाखा एवं अभियांत्रिकी शाखा को रेल्वे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के तहत प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण व उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।	**Railways/ RSDC/JDA**
	4. बीआरटीएस कोरिडोर।	4. बीआरटीएस कोरिडोर के लिये राज्य सरकार स्तर पर कमेटी गठित की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही तदानुसार प्रस्तावित है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में बसों व अन्य स्वीकृत वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के प्रवेश पर एम.वी. एक्ट तहत चालान करने के निर्देश दिये गये, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि सभी प्रकार की बसे बी.आर.टी.एस. रूट पर कॉरिडोर में चले। उक्त की अवहेलना करने पर चालान करने हेतु आवश्यक नोटिफिकेशन संबंधित विभाग द्वारा जारी करने हेतु निर्देश जारी किये गये।	**DCP-Traffic/ RTO**
	5. ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट किया जाना।	5. ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों को शिफ्ट होने हेतु जविप्रा द्वारा अंतिम नोटिस दिये जा चुके हैं। यह निर्देश दिये गये कि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु शीघ्र	**Ex.En.-Elect/13/ PHE, JDA DCP-Traffic NNJ-**

		कार्यवाही करें।	
	6. ई–पार्किंग।	6. ई–पार्किंग हेतु स्मार्ट सिटी द्वारा कंसल्टेंट नियुक्त करने के दिशा निर्देश जारी किये गये।	Heritage/ Greater/ Dir. TP, JDA
	7. मैरीज हॉल/लॉन।	7. पार्किंग हेतु रिक्त निजी जमीनों का नियमानुसार उपयोग अनुमत होने से व्यस्ततम क्षेत्र में अतिरिक्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो Director (Town Planning), JDA गाईडलाईन निर्धारित करें।	
	8. सड़क मार्गों पर निकलने वाले रैलियां, जूलुस एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध।	8. इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा उनके स्तर पर सम्पादित की जावे।	DCP-Traffic
	9. सर्विस लेन सड़क मरम्मत कार्य (एनएचएआई)	9. इस संबंध में एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि कंसेसर से अनुबंध संबंधी विवाद चल रहा है। उनके द्वारा सड़क मरम्मत के प्रयास किये जा रहे हैं, कार्य शीघ्र करवा दिये जायेंगे।	NHAI
	10. ई–रिक्शाओं का रूट निर्धारित कर, चालकों के लाईसेंस जारी कर, कलर कोडिंग सिस्टम एवं स्टेण्ड निर्धारित के संबंध में सुझाव भिजवाया गया।	10. आर.टी.ओ. द्वारा अवगत करवाया गया कि ई–रिक्शाओं का रूट निर्धारण हेतु उनके द्वारा जोनों की री–प्लानिंग की जा रही है। शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। नवीन लाईसेन्स पूर्व में रोक दिये गये थ, लेकिन वर्तमान में जारी किये जा रहे हैं। ई–वाहनों की चार्जिंग के लिये शहर में विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग पॉईन्ट की आवश्यकता पर भी चर्चा की गयी। इस संबंध में बताया गया कि जविप्रा द्वारा EOI तैयार की जा रही है। शीघ्र जारी की जावे।	RTO
	11. रोड़ नं.14 विश्वकर्मा रोड़ पर अण्डरपास बनवाये जाने हेतु।	11. अण्डरपास हेतु एन.एच.ए.आई. को तकनिकी फिजीबिलिटी जांचने के निर्देश दिये गये।	NHAI
	12. सवाई मानसिंह अस्पताल से मेडिकल कॉलेज आने–जाने हेतु जेएलएन मार्ग पर फुट ओवर ब्रिज बनवाये जाने हेतु।	12. सवाई मानसिंह अस्पताल से मेडिकल कॉलेज जाने हेतु जे.एल.एन. मार्ग पर चाहे गये फुट ओवर ब्रिज के संबंध में जविप्रा को तकनिकी फिजीबिलिटी जांचने के निर्देश दिये गये।	Ex.En.-1, JDA
	13. दक्षिणी रिंग रोड़, आगरा रोड़, टोंक रोड़ पर क्लोवर लिफ बनवाये जाने के संबंध में।	13. एन.एच.ए.आई. द्वारा बताया गया कि कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। क्लोवर लीफ के	NHAI A.C.(Land),

		अलाईन्मेन्ट में कुछ भूमि के मुआवजे के संबंध में लंबित कार्यवाही के संबंध में A.C.(Land) द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जावे।	JDA
81.4	नये मार्गों एवं वर्तमान मार्गों के वृद्धिकरण/ कटौती/ डायवर्जन एवं स्कोप के प्रस्ताव	परिवहन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा हुयी। आर.टी.ओ. द्वारा अवगत करवाया गया कि नये मार्गों के उक्त प्रस्तावों को उपायुक्त–यातायात पुलिस द्वारा सहमति दी जा चुकी है। चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–	
	1. ऐजेण्डा संख्या (1) जयपुर नगरीय सीमा में नये मार्गों के प्रस्ताव।	1. बालाजी कॉलेज से चांदपोल तक नये टैम्पो मार्ग की सहमति दी गयी।	RTO
	2. ऐजेण्डा संख्या 2 मार्गो में प्रस्तावित वृद्धिकरण के प्रस्ताव।	2. प्रस्तावित 6 मार्गों के वृद्धिकरण में से क्र.सं.1,2,5,6 के मार्गों के वृद्धिकरण की सहमति दी गयी। क्र.सं.3व4 पर प्रस्तावित मार्गों को परिवहन विभाग को जेसीटीएसएल के साथ पुनः परीक्षण के लिये निर्देश दिये गये।	RTO JCTSL
	3. ऐजेण्डा संख्या 3 मार्गो में वृद्धिकरण/कटौति/ डायवर्जन के प्रस्ताव।	3. प्रस्तावित दोनों मार्गों में प्रस्तावित परिवर्तन को सहमति दी गयी।	RTO
	4. एल.पी.जी. ऑटो परमिट	4. वर्तमान में 27000 परमिटों की संख्या में 2000 नवीन अनुज्ञा पत्रों की वृद्धि के प्रस्ताव को सहमति दी गयी।	RTO
81.5	Pending issues of Jaipur Metro regarding increasing the ridership of JMRC		
	1. E-Rickshaw feeder service	1. जे.एम.आर.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सहमति दी गयी। साथ ही उनको परिवहन विभाग को आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।	JMRC/ RTO
	2. Parallel operation of Public Transport	2. चर्चा उपरान्त यह निर्देशित किया गया कि मैट्रो की राईडरशिप बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में यदि बसों के स्वीकृत मार्गो में परिवर्तन की कोई आवश्यकता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जावे।	JMRC/ RTO
	3. Extension of route of Tata Magic type feeder	3. अ. परिवहन विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है।	Metro/

	4. JCTSL bus route No.37 from Mansarovar Metro Station to Muhana Mandi is discontinued by the JCTSL. Same is to re-started at earliest. 5. Circular Tempo route Agarwal Farm to Agarwal Farm was put up in TCB but JMRC shown objection on this route and propose for partial amendment in this route.	ब. परिवहन विभाग व जयपुर मैट्रो को निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित मार्ग पर वर्तमान में चल रही बसों/ टैम्पो की सुविधा को देखते हुये प्रस्तावित नवीन मार्ग की सम्मिलित रूप से जांच कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। 4. जे.सी.टी.एस.एल. को बस मार्ग संख्या 37 को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किये गये। 5. इस संबंध में निर्देश दिया गया कि संबंधित विभाग अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय लेकर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	RTO JCTSL/ JMRC JMRC/ RTO
	अन्य बिन्दु जिन पर चर्चा की गयी। 1. अधिशाषी अभियन्ता–10 द्वारा अवगत करवाया गया कि टनल के निर्माण के पश्चात् घाट की गुणी के पुराने मार्ग पर यातायात कम हो जाने से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक मच्छी दरवाजे तक थड़ी ठैलों एवं गाडिया लुहारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिससे आमजन के आवागमन में कठिनाईयों उत्पन्न हो गयी है। रात्रि के समय भारी वाहन प्रवेश कर जाते हैं एवं इस मार्ग पर स्थित हाईट बैरियर को अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यातायात की सुगमता हेतु अतिक्रमण को हटाया जाना एवं भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित करना आवश्यक है। 2. यातायात पुलिस द्वारा नवीन स्थानों पर ट्रैफिक लाईट लगाने के लिये निवेदन किया गया।।	1. चर्चा उपरान्त नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा अतिक्रमणों को प्राथमिकता से हटाने हेतु निर्देशित किया गया। 2. जविप्रा द्वारा अवगत करवाया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह निर्देश दिया गया कि यातायात पुलिस की प्राथमिकता के आधार पर ट्रैफिक लाईट सिग्नल लगवाये जावे।	NNJ-Heritage/ JDA/ DCP – Traffic JDA/ DCP - Traffic

'he meeting ended with vote of thanks.

(Member Secretary)
Traffic Control Board
JDA, Jaipur

107 — .13

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. PS to JDC, JDA, Jaipur
2. PS to MD, JMRC, Jaipur
3. PS to Transport Commissioner, Rajasthan Jaipur
4. PS to Commissioner of Police, Jaipur
5. PS to MD, RSRTC, Jaipur
6. PS to Collector, Jaipur
7. PS to Secretary, JDA, Jaipur
8. PS to Commissioner, Nagar Nigam Heritage, Jaipur
9. PS to Commissioner, Nagar Nigam Greater, Jaipur
10. PS to CEO, Jaipur Smart City Ltd., Jaipur
11. SP, JDA, Jaipur
12. DCP (Traffic), Jaipur
13. PS to Managing Director, JCTSL, Jaipur
14. Regional Transport Officer, Jaipur
15. CTP, Rajasthan, Jaipur
16. Chief Engineer(Roads), PWD, Rajasthan, Jaipur
17. Chief Engineer(HQ), PHED, Rajasthan, Jaipur
18. Chief Engineer(O&M), JVVNL, Rajasthan, Jaipur
19. Director (Town Planning), JDA, Jaipur
20. Director (Engineering-I), JDA, Jaipur
21. Director (Engineering-II), JDA, Jaipur
22. Director (Finance), JDA, Jaipur
23. Project Director, NHAI, Jaipur
24. Manager Marketing, RCDF, Jaipur
25. Manager Trustee, NGO, Muskan, Jaipur
26. Gaurd File.

Addl. Chief Engineer-I (TCB)
Jaipur Development Authority
Jaipur

List of Officer`s who attended the 81st TCB meeting under the chairmanship of Jaipur Development Commissioner Sh. Gaurav Goyal held on 26-02-2021 at 11:00 A.M. in the "Manthan" Meeting Hall of **Jaipur Development Authority, Jaipur**.

S. No.	Name of Officer`s	Designation & Department	Mobile / Email ID	Signature
	HRIDESH SHARMA	SECRETARY JDA		[signature]
	RAGHUVEER SAINI	CCE, Jaipur Dev. Authority		[signature]
	RAJENDRA SINGH SISODIA (RPS)	ADDL SP TRAFFIC (SOUTH)		[signature]
	Mukut B. Panjel	Addl. Comm.		[signature]
	Anil Ghiya	S.E. NNJ(H)	9314859850	[signature]
	Islam Khan	D.C.(Vig) NNJ(H)	9983440100	[signature]
	Aditya Singh	Manager (Tech.)	8890729541	[signature]
	Ajay Kr. Arya	Project Director NHAI	9414009633	[signature]
	Deepak Garg	SE(Traffic) PWD	9414050066	[signature]
	Vinod Sharma	JDA EE		[signature]
	Neha Khullar	Consultant State Road Safety Cell Transport Deptt.	9414039166	Neha K
	Shantam Bhargav	Founder, Marksman MGD	9829388888	[signature]
	Subodh Kumar	Asst. Nagar Nigam Heritage	9782493987	[signature]
	Ajay kumar	EE Smart City	9818598498	[signature]
	Vinita Singh	ACEO	9829018925	[signature]
	Karan Singh Meena	SM/operation JMRC	7728895412	[signature]
	GOPESH KUMAR VERMA	Mgr/OP, JMRC	7728895503	[signature]
	Brajesh Chandolia	Add. Comm. NNGJ	9549379009	[signature]
	Satyir Singh	Addl. DCP Traffic Jaipur North	9784000175	[signature]
	Rakesh Sharma	RTO Jaipur	9829180005	[signature]
	Devendra Gupta	Addl CE	9414044014	[signature]

List of Officer`s who attended the 81st TCB meeting under the chairmanship of Jaipur Development Commissioner Sh. Gaurav Goyal held on 26-02-2021 at 11:00 A.M. in the "Manthan" Meeting Hall of **Jaipur Development Authority, Jaipur**.

S. No.	Name of Officer`s	Designation & Department	Mobile / Email ID	Signature
	Adarsh Sidhu	DCP (Traffic)	7073731990	[signature]
	RK Vijayvargia	CTP (Raj.)/ Dir (TP)	9828109493	[signature]
	N.C. Mathur	Dir (Engg) I	9829011131	[signature]
	V. S. Surana	Director Engg	9413335577	[signature]
	V. C. Bunkar	Dir. (fin.)	9799396313	[signature]
	Naval Kishore	PRO	9829018011	[signature]
	C.P. Gupta	XEn (Elect-I)	9414025421	[signature]
	Prafulla Kumar	Xen Elect-II	9929373663	[signature]
	K.C. Choudhary	X.En, JVVNL	9413390064	[signature]
	Mahesh Goyal	EE-1	9829218630	[signature]
	S. Vikram Singh	EN-10	94140-34443	[signature]
	Ameen Azad	EE Traffic JDA	9829056091	[signature]
	Kalyan Sahai meena	Z.M. JCTSL	7726010939	[signature]